

आपके द्वारा आपकी फैक्टरी/स्थाना के सम्बन्ध में दिए गए व्यवहार सहित दिनांक 17-11-97

बीमा निरीक्षक/स्थानीय कार्यालय प्रबन्ध में दिए गए निरीक्षण के जाधार पर आपकी फैक्टरी स्थापना तारीख 01-08-97 से अक्षिप्र/अनीन्तिम रूप से अधिनियम की धारा 2 (12) व। (5) के क्षेत्र में आती है लेकिन यदि वाद के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी फैक्टरी/स्थापना उपलिखित तारीख से पहले की किसी तारीख से उपर्युक्त वर्णित तारीख से शामिल की जानी थी तो आप ऐसी पहले की तारीख से अधिनियम के उपलब्धों का पालन करने के लिए बाध्य होगे।

आपसे अनुरोध है कि आपकी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन शामिल किये जाने की तारीख से अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने, बोधाना पश्च भरने तथा अंशदान का भुगतान करने रिकार्ड के अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में शीघ्र कारबाही करें। सुविधा की दृष्टि से आपकी स्थापना की कोड संख्या 38594-101/Zone 4 विभिन्न की रही है। इस कार्यालय को भेजे गए सभी पत्रादि में तथा कामों में निर्दिष्ट स्थानों पर इस कोड संख्या का प्रयोग करें।

Karam Pura.....पर स्थित स्थानीय कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में आपको आवश्यक सहायता देने के अनुदेश दिए गए हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो आप उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय के प्रबन्धक से सम्पर्क करें जो जामले में आपकी अपेक्षित सहायता करेगा। निवेदन है कि आप आपकी फैक्टरी/स्थापना में राज्य बीमा औपधालयों की संलग्न सूची का प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औपधालयों का चुनाव कर सकें। सभी अवक्षित फार्म आदि उपर्युक्त कार्यालय से प्राप्त करें उक्त कार्यालय के साथ आपके सभी कर्मचारी सम्बन्ध किए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अंशदात् स्वीकार करने वाली बैंक की शाखाओं की सूची संलग्न है। आप कृपया अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक बैंक का करके और उसकी सूचना इसकार्यालय तथा भारतीय स्टेट बैंक की चुनाव सम्बन्धित शाखा को भेज दें। आप केवल इसी शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि का भुगतान करें। यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं होई तो आपके द्वारा जिस शाखा में राशि जमा कराई जाएगी उसी शाखा को आपकी फैक्टरी स्थापना की नामजद शाखा मान लिया जाएगा।

नियम कर्मचारी आपके कार्य को निपटाने में तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की बाध्यताओं पालन करने में आपकी सभी आवश्यक हर सम्बन्ध सहायता करेंगे तथा मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से कर्मचारी राज्य बीमा विविधियम के उपलब्धों तथा विनियमों का तात्पर्यता से और समय पर पालन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि सभी प्रकार से संलग्न फार्म 01 विधिवत भरकर इस कार्यालय को तत्काल भेजने की कृपा करें।

Please contact R.O./L.O. for guidance.

भवदीय

संलग्न :-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को प्रेपित

1. स्थानीय कार्यालय Karam Pura
2. बीमा शाखा के द्वारा कार्यालय दिल्ली
3. बीमा निरीक्षक श्री/श्रीमती
4. बीमा निरीक्षक श्री/श्रीमती
- इस निवेदन के साथ प्रेपित किया जाता है कि वह इस फैक्टरी की व्याप्ति की तारीख को तथा शोध निर्धारित करने की कृपा करे।
5. गार्ड फार्ड

कृते द्वारा विदेशी

27

कृते द्वारा विदेशी